| | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/01/2022 | प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-2 व 6 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-2 व 6 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी संख्या-2 व 6 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण स्व० खिन्दुराराम के वंशज है प्रार्थीगण द्वारा खिन्दुराराम के पूरे परिवार का वंश वृक्ष नहीं बनाकर मात्र एक पुत्र सोनाराम का वंश वृक्ष दर्शाया गया है जबकि खिन्दुराराम के चार पुत्र सोनाराम, गुमनाराम, शेराराम व उम्माराम थे। विप्रार्थी संख्या-1 सोनाराम का पुत्र है तथा प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या-1 के पुत्र है। किन्तु प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या-1 के जायदा पुत्र होने के कारण विप्रार्थी संख्या-1 के हिस्से में ही अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा शेष भूमि जो विवादित है में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है विप्रार्थी संख्या-1 के हक हिस्से में प्रार्थीगण को घोषणा करवाने का अधिकार है तथा प्रार्थीगण का विप्रार्थी संख्या-2 के हक हिस्से में उसके जीवनकाल में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि प्रार्थीगण के दादा से प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी संख्या-1 को हक हिस्सा प्राप्त हो चुका है जिस कारण प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या-1 के हिस्से में नोशनल शेयर के मुताबिक खातेदारी घोषणा करवा सकते है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर-227, 232, 233 मौजा-मेघे का धड़ा | |

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम ... हुक्म की ... में ... |
|---|---|---|
| | में विपक्षी संख्या -1 के 31/360 हिस्सा व खसरा नम्बर- 659 व 660 मौजा- जसनाथ नगर में विपक्षी संख्या- 1 के 1/5 हिस्से में कुछ हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा शेष भूमि में किसी भी सहखातेदार के साथ प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि में विपक्षी संख्या-1 के हिस्से के साथ सहखातेदार के रूप में घोषणा करवाते है तो हम विपक्षी संख्या -2 व 6 को कोई उजर एतराज नहीं है तथा विपक्षी संख्या-1 के हिस्से को छोड़कर शेष विपक्षीगणों के हक हिस्से की भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से बहाल किया जावें।<br>अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने तथा पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के ~~पश्च~~ बाद विवादित आराजी मौजा- अखे का धड़ा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः- 227, 232 व 233 में विपक्षी संख्या- 1 के 31/360 हिस्से व मौजा- जसनाथ नगर में विपक्षी संख्या-1 के खसरा नम्बर- 659 व 660 में हिस्से 1/5 की भूमि को छोड़कर शेष विपक्षीगणों के विरुद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक- 24/12/21 को हटाया जाता है। तथा विपक्षी संख्या-1 के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला वाद कायम किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहें।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) बायतु | |